(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1158/पी0बी0आर0/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–1996– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण 142/1989–90 अपील

प्रेमनारायण पुत्र घमण्डी
ग्राम आमाहा तहसील लहार
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामकली पत्नि सिरोमन सिंह
2– दशारा पत्नि करन सिंह
दोनों निवासी ग्राम भारपुरा
तहसील लहार जिला भिण्ड
3– भॅवरसिंह पुत्र चन्दनसिंह
ग्राम महुआ तहसील लहार जिला भिंड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक क–1,2 के अभिभाषक श्री के0डी0दीक्षित)
(अनावेदक क–3 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक प्रकरण 142/1989–90 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–1996 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार वृत्त दवोह तहसील लहार ने प्रकरण कमांक 43/87–88–119 में पारित आदेश दिनांक 27–9–89 से अनावेदक क–3 के स्थान पर ग्राम

अमाहा स्थित भूमि कुल 2 कुल रकबा 1.820 हैक्टर पर अनावेदक क-1 व 2 का समान भाग पर , सर्वे नंबर 696 स्थित कुआ के समान भाग पर (आगे जिसे विवादित संपत्ति अंकित किया गया है) म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लाहार के समक्ष अपील हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 1/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-90 से अपील अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक प्रकरण 142/1989-90 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-12-1996 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि विवादित संपत्ति आवेदक ने अनावेदक क-3 के यहॉ गिरबी रखी थी कोई विक्रयनामा अथवा रजिस्ट्री नहीं की गई, फिर भी नायव तहसीलदार ने बिना विक्रीनामा के नामान्तरण करने में भूल की है एंव अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जब अपील में आपत्ति की गई, अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में सारवान तथ्य को छोड़कर अपील निरस्त करने में कानूनी भूल की है और अपर आयुक्त ने भी वास्तविक तथ्यों को नजरन्दाज किया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक कमांक- 1 व 2 के अभिभाषक ने इसका विरोध कर बताया कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष एक समान है इसलिये निगरानी निरस्त जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर परिलक्षित है कि आवेदक व्दारा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त संपत्ति रहन रखने का तथ्य गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है क्योंकि आवेदक ने वादग्रस्त संपत्ति जर्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2-11-1981 से अनावेदक कमांक-3 को विक्रय की है और अनावेदक कमांक-3 ने वादग्रस्त संपत्ति अनावेदक कमांक 1 व 2 को विक्रय की है और इन्हीं विक्रय पत्रों के आधार पर तहसीलदार वृत्त दवोह तहसील लहार ने प्रकरण कमांक 43/87-88-119 में पारित आदेश दिनांक 27-9-89 से अनावेदक क-3 विक्रेता के स्थान पर क्रेताओं का नामान्तरण किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 1/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-90 से तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक प्रकरण 142/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-1996 से अपील निरस्त की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक प्रकरण 142/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-1996 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर